UPEW010052802025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, इटावा।

पीठासीन अधिकारी– रजत सिंह जैन, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06519

दाण्डिक अपील सं०–67/2025

1. नीरज कुमार पुत्र स्व०राज कुमार
2. सरोज देवी पत्नी स्व०राज कुमार
3. धीरज कुमार पुत्र स्व०राज कुमार
4. रेखा देवी पुत्री स्व०राज कुमार

निवासीगण–टापाकलां थाना उत्तर जिला फिरोजाबाद

... अपीलार्थीगण।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य
2. श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री धनीराम निवासी ग्राम उतरई थाना जसवंतनगर जिला इटावा।

.....प्रत्यर्थीगण।

<u>निर्णय</u>

1. यह दाण्डिक अपील न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०–2, इटावा द्वारा दण्ड परिवाद सं०–462 सन 2018 पुष्पा देवी बनाम नीरज कुमार आदि, अन्तर्गत धारा–12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, थाना जसवंतनगर, जनपद, इटावा में पारित एक पक्षीय निर्णय दि०–27.02.2025 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा परिवादिनी/प्रत्यर्थी सं०–2 श्रीमती पुष्पा देवी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 स्वीकार करते हुये, यह आदेश पारित किया गया है कि विपक्षीगण प्रार्थिनी के साथ घरेलू हिंसा कारित न करें, विपक्षी सं०–1 को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थिनी तथा उसके बच्चों को रहने हेतु उचित स्थान की सुविधा आदेश के एक माह के अन्दर प्रदान करे। विपक्षी सं०–1 को आदेशित किया गया है कि वह प्रार्थिनी को 3,000/– रूपये प्रतिमाह उसके प्रत्येक बच्चो को 1,000/– 1,000/– रूपये प्रतिमाह, कुल 5,000/– रूपये प्रतिमाह प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अदा करें। विपक्षी सं०–1 वादिनी के

Digitally signed by RAJAT SINGH JAIN
Date: 2026.04.16 16:25:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न की मद में एकमुश्त 50,000/– रूपये आदेश की तिथि के एक माह के अन्दर प्रदान करे।

2. इस अपील से इस अपील को उत्पन्न करने वाले तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी सं०–2/परिवादिनी श्रीमती पुष्पा देवी की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष धारा–12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत परिवाद इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसका विवाह दि०–22.04.2006 को विपक्षी नीरज के साथ हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था। उसके पास एक नाबालिग पुत्री महक व एक नाबालिग पुत्र करन है तथा एक नाबालिग पुत्री कु०कुमकुम को विपक्षी पति ने छीन लिया है। उसके माता–पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज में लगभग 5–6 लाख रूपया खर्चा किया था। शादी में मुख्य भूमिका विपक्षी नानकचन्द्र की थी। उसके ससुरालीजन शादी में दिये गये दान दहेज से सन्तुष्ट नहीं थे और अतिरिक्त दहेज में एक जंजीर सोने की व मोटर साइकिल हीरो होंडा तथा पचास हजार रूपया नकद व्यवसाय हेतु माँग शादी के बाद से ही करते चले आ रहे हैं, जिसे देने की उसके माता–पिता की हैसियत नहीं है। विपक्षीगण परिवादिनी को उपरोक्त अतिरिक्त दहेज न मिलने के कारण तरह–तरह से हैरान, परेशान, मारपीट तथा प्रताड़ित करते चले आ रहे हैं और ससुरालीजन की मंशा यह रही कि परिवादिनी को भूखा आदि रखकर जान से मारकर नीरज कुमार की दूसरी शादी कर ली जाये।

3. परिवाद में यह भी कथन किया गया है कि विपक्षी नीरज कुमार के संसर्ग से परिवादिनी को तीन बच्चे उत्पन्न हुये। वह इन्हीं बच्चों की तरफ देखकर बराबर यह कोशिश करती रही कि विपक्षीगण उसको प्रताड़ित, मारपीट, हैरान, परेशान न करके भूखा न रखे, परन्तु उन पर कोई असर नहीं हुआ। विपक्षी नानकचन्द्र शादी के बाद से ही परिवादिनी के माता–पिता को अतिरिक्त दहेज दिलाने के लिये झगड़ा फसाद व गाली–गलौज करता रहा और अब भी कर रहा है तथा धमकी दे रहा है कि अगर जंजीर, मोटर साइकिल व पचास हजार रूपया नहीं दिया, तो तुम्हारी लड़की को छुड़वा देंगे। दि०–30.03.2012 को विपक्षीगण परिवादिनी को उसकी हत्या करने के इरादे से एक किराये की गाड़ी में बैठाकर लखना में देवी जी के दर्शन का बहाना बनाकर घर से सुबह लगभग 9.00 बजे सैफई मोड़ पर ले आये। उसने अपनी हत्या का सन्देह होने पर फोन से मायके सूचना दी, जिस पर विपक्षीगण 1 लगायत 5 ने अपनी पूर्व साजिश के तहत गाड़ी में रखे हुये डंडा से मारना–पीटना शुरू कर दिया। परिवादिनी ने काफी शोर मचाया, तब तक

गाड़ी जसवंतनगर के मुख्य हाईवे चौराहा पर आ गयी, जहाँ पर पुलिस व जनता की मदद से गाड़ी रोकी गयी और पुलिस वाले परिवादिनी को विपक्षीगण के साथ मय गाड़ी थाना ले गये, जहाँ परिवादिनी की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी और विपक्षीगण को मय गाड़ी के छोड़ दिया गया। परिवादिनी अपने भाईयों के साथ लगातार 3–4 दिन थाना रिपोर्ट करने गयी, परन्तु उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। मजबूरन दि० – 03.04.2012 को उसके द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा को पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रार्थनापत्र प्रेषित किया तथा अपने शरीर पर आयी चोटों का चिकित्सीय परीक्षण व एक्सरे सदर अस्पताल, इटावा में कराया। उसने दहेज अधिनियम एवं धारा–125 दं०प्र०संहिता के ममाले भी पंजीकृत कराये हैं, जो विचाराधीन हैं। विपक्षीगण द्वारा परिवादिनी को शारीरिक व मानसिक रूप से उत्पीड़ित किया गया है और उसका सारा स्त्रीधन छीनकर घर से निकाला गया है और कई बार जान से मारने का प्रयास किया गया है, जिसके कारण यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

4. परिवादिनी के द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत स्वयं व अपने अवयस्क बच्चों हेतु विभिन्न अनुतोष की माँग की गयी।

5. विपक्षी सं०–6 नानक चन्द्र की ओर से प्रतिवादपत्र 10क प्रस्तुत कर परिवादिनी से विपक्षी नीरज का विवाह होना स्वीकार करते हुये, शेष अन्य कथनों को अस्वीकार करते हुये कहा गया है कि वह विवाह का मात्र मध्यस्थ है। उसके द्वारा परिवादिनी के साथ कोई घरेलू हिंसा कारित नहीं की गयी है।

6. अन्य विपक्षीगण की ओर से उत्तरपत्र 14ग प्रस्तुत करते हुये यह कथन किया गया है कि विपक्षी नीरज कुमार की शादी दि०–22.04.2006 को परिवादिनी के साथ हुई थी। वादिनी के पास एक पुत्री व एक पुत्र हैं तथा तीसरी पुत्री वह लड़–झगड़कर मायके जाते समय विपक्षीगण के घर छोड़ गयी थी। विपक्षीगण द्वारा कभी अतिरिक्त दहेज की कोई मॉग नहीं की गयी, न क्रूरता की गयी और न ही कभी दूसरी शादी का प्रयास किया गया। वे आज भी परिवादिनी को बच्चों सहित अपने साथ रखने को तैयार है, परन्तु परिवादिनी उनके साथ रहने को तैयार नहीं है। विपक्षीगण द्वारा परिवाद के अन्य कथनों को अस्वीकार करते हुये कहा गया है कि परिवादिनी द्वारा अत्यधिक धनराशि की माँग की गयी है, जो उसकी धन लोलुपता का प्रतीक है। अतः परिवाद निरस्त किये जाने की माँग की गयी।

7. परिवादिनी की ओर से अपने समर्थन में स्वयं का साक्ष्य शपथपत्र 12क व पी०डब्लू०–2 के रूप में जितेन्द्र कुमार का साक्ष्य शपथपत्र 13क प्रस्तुत किया गया। उक्त साक्षीगण से विपक्षीगण की ओर से प्रतिपरीक्षा की गयी।

8. विपक्षी नीरज कुमार ने स्वयं का साक्ष्य शपथपत्र 15क प्रस्तुत किया गया, परन्तु वह पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी प्रतिपरीक्षा हेतु उपस्थित नहीं आया। तदुपरांत विपक्षीगण इस मामले में उपस्थित नहीं आये, अतः विचारण न्यायालय के आदेश दि०–21.10.2024 के द्वारा वाद की कार्यवाही विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी।

9. परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुनने के उपरांत आक्षेपित निर्णय व आदेश के द्वारा परिवादिनी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम इस आशय से स्वीकार किया गया–(1) विपक्षीगण प्रार्थिनी के साथ घरेलू हिंसा कारित न करें। (2) विपक्षी सं०–1 को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थिनी तथा उसके बच्चों को रहने हेतु उचित स्थान की सुविधा आदेश के एक माह के अन्दर प्रदान करे। (3) विपक्षी सं०–1 को आदेशित किया गया है कि वह प्रार्थिनी को 3,000/– रूपये प्रतिमाह उसके प्रत्येक बच्चो को 1,000/– 1,000/– रूपये प्रतिमाह, कुल 5,000/– रूपये प्रतिमाह प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अदा करें। (4) विपक्षी सं०–1 वादिनी के मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न की मद में एकमुश्त 50,000/– रूपये आदेश की तिथि के एक माह के अन्दर प्रदान करे। इसी निर्णय/आदेश से व्यथित होकर उक्त परिवाद के विपक्षीगण द्वारा यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है।

10. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश सिंह, प्रत्यर्थी सं०–1 उ०प्र०राज्य की ओर से उपस्थित श्री शिव कुमार शुक्ल, जिला शासकीय अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी सं०–2 के विद्वान अधिवक्ता श्री आनन्द कुमार वर्मा के तर्क सुने एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

7. अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि परिवादिनी की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष परिवाद दि–13.04.2018 को प्रस्तुत किया गया था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विपक्षीगण को न्यायालय द्वारा नोटिस प्रेषित किये गये। विपक्षी सं०–6 नानक चन्द्र दि०–09.07.2026 को न्यायालय में उपस्थित आया तथा उसकी ओर से दि०–21.10.2021 को अपना प्रतिवादपत्र 10क प्रस्तुत किया गया। तदुपरांत अन्य विपक्षीगण भी दि०–25.04.2022 को शेष विपक्षीगण द्वारा भी अपना प्रतिवादपत्र 14क प्रस्तुत किया गया। तदुपरांत प्रकरण को मध्यस्थता केन्द्र मध्यस्थता हेतु भेजा गया था। मध्यस्थता केन्द्र के समक्ष परिवादिनी उपस्थित रही तथा दि०–27.05.2022 को विपक्षी विपक्षी नीरज कुमार उपस्थित आया तथा उसके द्वारा सुलह वार्ता हेतु समय चाहा गया, परन्तु

तदुपरांत वह मध्यस्थता केन्द्र में उपस्थित नहीं हुआ।

8. इस मामले में परिवादिनी की ओर से अपने साक्ष्य में स्वयं का साक्ष्य शपथपत्र 12क, जितेन्द्र कुमार का साक्ष्य शपथपत्र 13ग प्रस्तुत किये गये। उक्त साक्षीगण से विपक्षीगण की ओर से प्रतिपरीक्षा भी की गयी। तदुपरांत विपक्षी/अपीलार्थी की ओर से अपने साक्ष्य में नीरज कुमार का साक्ष्य शपथपत्र 15क दि०–05.12.2023 को प्रस्तुत किया गया। उसके उपरांत विपक्षी साक्षी नीरज कुमार से प्रतिपरीक्षा हेतु दि०–17.01.2024 को तिथि नियत की गयी। इसके उपरांत दि०–12.02.2024, 12.03.2024, 16.04.2024, 18.05.2024, 12.06.2024 व 18.07.2024 को विपक्षी नीरज कुमार प्रतिपरीक्षा हेतु उपस्थित नहीं आया। विपक्षी को दि० –02.08.2024, 06.09.2024 व 05.10.2024 को प्रतिपरीक्षा हेतु उपस्थित होने के लिये अन्तिम अवसर प्रदान किये गये, परन्तु वह उपस्थित नहीं हुआ, अतः विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश दि०–21.10.2024 के द्वारा प्रकरण को विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय रूप से अग्रसारित किया गया।

9. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि वे इस प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने वाद का प्रतिवाद कर रहे थे तथा डी०डब्लू०–1 के रूप में नीरज कुमार का शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया था, परन्तु दि०–10.04.2021 को उसके पिता की मृत्यु हो गयी थी तथा उसकी माँ सरोज देवी को ब्रेन टयूमन होने के कारण उनका वर्ष 2019 से उपचार चल रहा था। वर्ष 2023–24 में माँ की हालत ज्यादा खराब होने के कारण अपीलार्थीगण उनके उपचार व देखभाल में व्यस्त रहे, जिस कारण वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके।

10. परन्तु अपीलार्थीगण का यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अपीलार्थीगण की ओर से अपील मेमो के साथ अपनी माँ श्रीमती सरोज देवी के चिकित्सीय उपचार से सम्बंधित प्रलेखों की छाया प्रतियां प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार उनका ब्रेन टयूमर का उपचार चल रहा है तथा दि०–08.05.2016 को वह रेनबो हैल्थकेयर, आगरा में भर्ती हुई थीं तथा दि०–20.05.2016 को डिस्चार्ज हो गयीं। पुनः दि०–07.01.2019 को भर्ती हुई व दि० –09.01.2019 को डिस्चार्ज हो गयी। प्रस्तुत मामले में विपक्षी द्वारा दि० –05.12.2023 को अपना साक्ष्य शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है और उसके उपरांत वह न्यायालय में उपस्थित नहीं आया है। दि०–05.12.2023 से दि०–21.10.2024 के मध्य श्रीमती सरोज

देवी के भर्ती होने आदि से सम्बंधित कोई प्रपत्र अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी नीरज कुमार मध्यस्थता केन्द्र मामले को प्रेषित किये जाने पर, मध्यस्थता केन्द्र में उपस्थित आया, तदुपरांत अनुपस्थित हो गया। अभिलेख पर ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थीगण के माता या पिता अनवरत रूप से अस्पताल में भर्ती रहे और सभी अपीलार्थीगण उनकी परिचर्या हेतु लम्बी अवधि तक अस्पताल में ही रहे। प्रत्येक व्यक्ति के घर में बीमार होने व चिकित्सीय परिचर्या कराना साधारण सी बात है। भले ही बीमारी कितनी भी भयानक क्यों न हो। किन्तु जब तक कोई व्यक्ति अनवरत रूप से अस्पताल में भर्ती न रहे और उसकी परिचर्या के लिये अस्पताल में परिचारक की आवश्यकता न हो, तो यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे परिवार के सभी व्यक्ति अपने सामान्य कार्य करने में भी असमर्थ हो गये थे। अपीलार्थीगण के द्वारा जो बहाना बनाया गया है कि माता के इलाज एवं पिता की मृत्यु के कारण उपस्थित नहीं हुये, अल्प अवधि के लिये तो उचित हो सकता था, किन्तु कई वर्षों के लिये नहीं माना जा सकता है। यह सुस्थापित विधि है कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वयं की त्रुटि का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है, जैसा कि लेटिन सूत्र "nullus commodum capere potest de injuria propria" में वर्णित कोई भी व्यक्ति अपनी स्वयं की त्रुटि का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता , जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **म्युनिसिपल कमेटी कटरा बनाम अश्वनी कुमार 2024 लाइव लॉ एस०सी० 373** के मामले में अवधारित किया है।

11. इसी प्रकार **बी०वी०स्मिता रानी बनाम एम०के०गिरीश (2009) 17 एस०सी०सी० 660** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह पाया कि जहाँ पर अवसर दिये जाने के उपरांत भी प्रत्यर्थी के द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी और परिवार न्यायालय द्वारा प्रतिपरीक्षा का अवसर समाप्त कर दिया गया और उच्च न्यायालय द्वारा एक और अवसर प्रदान कर दिया गया, तो यह अवसर प्रदान किया जाना उचित नहीं था, क्योंकि अवसर मिलने पर भी प्रतिपरीक्षा न करना, दिये गये मौके का लाभ न उठाने के समान था, जिसका लाभ नहीं लिया गया, तो परिवार न्यायालय द्वारा साक्ष्य समाप्त करके निर्णय पारित कर देना उचित था और उच्च न्यायालय द्वारा मामले को प्रतिप्रेषित करके त्रुटि की गयी थी।

12. इसस प्रकार अपीलार्थीगण के आचरण को दृष्टगत रखते हुये मामले को एक पक्षीय रूप से अग्रसारित किये जाने में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है।

13. अपीलार्थीगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी नीरज कुमार की कोई आय नहीं है। परिवादिनी द्वारा उसकी आय अत्यंत बढ़ाचढ़ाकर दर्शायी गयी है। विचारण न्यायालय द्वारा जो धनराशि नियत की गयी है, वह वहन करने में असमर्थ हैं।

14. अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि श्रीमती पुष्पा देवी का विवाह नीरज कुमार के साथ दि०-22.04.2006 को हुआ था और उसके कथनानुसार विवाह में दिये गये दान दहेज से उसके ससुरालीजन सन्तुष्ट नहीं थे और अतिरिक्त दहेज के रूप में मोटर साइकिल, सोने की जंजीर व 50,000/- रूपये की माँग की गयी, जिस हेतु उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया। परिवादिनी के विपक्षी के संसर्ग से दो पुत्री व एक पुत्र पैदा हुये, जिनमें से एक पुत्री को उसके पति ने उससे छीन लिया। दि०-30.03.2012 को उसके पति व उसके ससुरालीजन उसकी हत्या करने के इरादे से एक किराये की गाड़ी में बैठाकर देवी जी के दर्शन का बहाना बनाकर घर से सुबह लगभग 9.00 बजे सैफई मोड़ पर ले आये और गाड़ी में रखे डंडों से उसे मारना-पीटना सन्देह होने पर उसने अपने मायके सूचना दी तथा शोर किया, तब पुलिस व जनता के लोगों की मदद से गाड़ी रूकवायी और पुलिस वाले उसे व विपक्षीगण को थाना ले गये, परन्तु पुलिस ने विपक्षीगण को छोड़ दिया। उसकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की। उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा को प्रार्थनापत्र प्रेषित किया तथा अपनी चोटों का चिकित्सीय परीक्षण कराया। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से यह प्रकट नहीं होता है कि श्रीमती पुष्पा देवी को वापस लाने का कोई वास्तविक प्रयास प्रत्यर्थीगण द्वारा किया गया हो। इस प्रकार बिना किसी कारण के श्रीमती पुष्पा देवी का परित्याग करना, उसके भरण-पोषण के लिये कोई धनराशि अदा न करना, निश्चित रूप से घरेलू हिंसा की परिभाषा में आता है और इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थीगण ने परिवादिनी के साथ घरेलू हिंसा कारित की है।

15. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **गेददाम झांसी बनाम स्टेट आफ तेलंगाना 2025 INSC 160** के मामले में अवधारित किया है कि जहाँ क्रूरता व हिंसा के वास्तविक मामले सामने आये, तो उनको अधिकतम संवेदना के साथ प्रबंधन करना चाहिये। सामान्यतया घरेलू हिंसा घर की चाहर दीवारी के अन्दर होती है और जनता की निगाहों में नहीं आती है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम इसी उद्देश्य के लिये अधिनियमित किया गया है, जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा के पीड़ित को राहत प्रदान करने का है।

16. विधि व्यवस्था **कन्डास्वामी मूपन बनाम अंगम्मल 1960 सीआर०एल०जे० 1098** के मामले में अवधारित किया गया है कि पति यह कहकर अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता है कि वह कोई आय अर्जित नहीं करता है और उसका दायित्व पत्नी व संतान के भरण–पोषण करने का बना रहता है।

17. इस प्रकार वर्तमान मामले में घरेलू हिंसा का होना पाकर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा भरण–पोषण दिलाये जाने एवं एकमुश्त धनराशि देने का आदेश करके कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

18. जहाँ तक भरण–पोषण की पर्याप्तता का प्रश्न है, तो विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा वादिनी को भरण–पोषण के लिये मात्र रू०–3,000/– व उसके प्रत्येक बच्चो के लिये रू०–1,000/– 1,000/–प्रतिमाह दिलाये जाने का निर्देश दिया गया है। भरण–पोषण किस प्रकार निर्धारित किया जाये, इस सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **प्रवीण कुमार जैन बनाम अंजू जैन** (2025) 2 **एस०सी०सी०** 227 के मामले में कतिपय विस्तृत निर्देश अवधारित किये गये है, जिसमें यह कहा गया है कि यद्यपि इसका कोई निर्धारित सिद्धांत नहीं हो सकता है, किन्तु भरण–पोषण दिलाये जाते समय निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जाना चाहियेः–

1. पक्षों का आर्थिक व सामाजिक स्तर।
2. पत्नी व उस पर आश्रित संतानों की युक्तियुक्त आवश्यकता।
3. पक्षों की व्यक्तिगत योग्यता व रोजगार का स्तर, यदि कोई हो।
4. पीड़िता की स्वतंत्र आय अथवा उसके द्वारा धारित किये जाने वाली आस्तियां।
5. वैवाहिक घर में पत्नी के द्वारा भोगी गयी जीवन की सुविधाओं का स्तर।
6. अपने दायित्व को पूर्ण करने के लिये यदि किसी रोजगार का बलिदान दिया गया हो, तो वह।
7. आय न अर्जित करने वाली पत्नी के लिये युक्तियुक्त वाद व्यय।
8. पति का आर्थिक स्तर, आय, भरण–पोषण का दायित्य एवं जिम्मेदारी

इसी प्रकार **श्रीमती किरन ज्योत मैनी बनाम अनीस प्रमोद पटेल 2020 SCC ऑन लाइन एस०सी० 1724** के मामले में भी इसी प्रकार के निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किये गये हैं।

19. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में निर्देशित बिन्दुओं के प्रकाश में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया गया।

20. बिन्दु सं०–1 पक्षों का आर्थिक सामाजिक स्तर?

उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिकथन एवं साक्ष्य में उभय पक्ष व उनके परिवार की आर्थिक सामाजिक स्तर के सम्बंध में कोई स्पष्ट कथन व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। परन्तु उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिकथन एवं साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष का आर्थिक व सामाजिक स्तर सामान्य श्रेणी का है।

21. बिन्दु सं०–2 पत्नी व उस पर आश्रित संतानों की युक्तियुक्त आवश्यकता?

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि परिवादिनी श्रीमती पुष्पा देवी प्रत्यर्थी नीरज कुमार की विवाहित पत्नी है तथा अवयस्क बच्चे परिवादिनी व प्रत्यर्थी नीरज कुमार की संतान हैं। परिवादिनी की ओर से कहा गया है कि उसके तीन अवयस्क बच्चे हैं, जिनमें से एक पुत्री को विपक्षी नीरज कुमार ने उससे छीन लिया है। अर्थात एक अवयस्क पुत्री पति के साथ रह रही है। अतः यह स्वाभाविक है कि श्रीमती पुष्पा देवी को स्वयं व अपने अवयस्क बच्चों की आवश्यकताओं हेतु धनराशि की आवश्यकता होगी।

22. बिन्दु सं०–3 पक्षों की व्यक्तिगत योग्यता व रोजगार का स्तर, यदि कोई हो?

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह हो चुका है कि पक्षों की कोई विशेष योग्यता नहीं है। इस प्रकार विपक्षी नीरज कुमार की कोई ठोस आय निश्चित परिमाण में हो, इसका भी कोई साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त पत्रावली पर नहीं है।

23. बिन्दु सं०–4 पीड़िता की स्वतंत्र आय अथवा उसके द्वारा धारित किये जाने वाली आस्तियां

उपरोक्त वाद बिन्दुओं में दिये गये निष्कर्ष से यह स्पष्ट हो चुका है कि पीड़िता की कोई स्वतंत्र आय नहीं है और न ही वह कोई पद धारित किये हुये है।

24. बिन्दु सं०–5 वैवाहिक घर में पत्नी के द्वारा भोगी गयी जीवन की सुविधाओं का स्तर

जहाँ तक पीड़िता द्वारा अपने वैवाहिक घर में भोगी गयी जीवन की सुविधाओं का प्रश्न है, उपरोक्त वाद बिन्दुओं में दिये गये निष्कर्ष से यह स्पष्ट हो चुका है कि पीड़िता के वैवाहिक घर में सामान्य जीवन यापन की सुविधा ही उपलब्ध रही होगी तथा पीड़िता का वैवाहिक घर एक सामान्य परिवार है।

25. बिन्दु सं०–6 अपने दायित्व को पूर्ण करने के लिये यदि किसी रोजगार का बलिदान दिया गया हो, तो वह

पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि पूर्व में पक्ष कोई रोजगार करते थे और उनके द्वारा अपने वैवाहिक दायित्वों को पूर्ण करने के लिये किसी रोजगार का बलिदान दिया गया हो।

26. **बिन्दु सं०–7 आय न अर्जित करने वाली पत्नी के लिये युक्तियुक्त वाद व्यय**

चूँकि परिवादिनी की कोई आय नहीं है। अतः उसे वाद व्यय के रूप में भी धनराशि दिलाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

27. **बिन्दु सं०–8 पति का आर्थिक स्तर, आय, भरण–पोषण का दायित्व एवं जिम्मेदारी**

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट हो चुका है कि पति नीरज कुमार के द्वारा एक सामान्य प्रकार का जीवन स्तर व्यतीत किया जाता है। यद्यपि उसकी कोई निश्चित आय साबित नहीं की जा सकी है, परन्तु परिवादिनी पुष्पा देवी उसकी विवाहित पत्नी है तथा उसके अवयस्क दो बच्चे, जो परिवादिनी के साथ निवास करते हैं, उनके भरण–पोषण का दायित्व विपक्षी नीरज कुमार पर है।

28. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **भुवन मोहन सिंह बनाम मीना व अन्य (2015) 6 एस०सी०सी० 353** के मामले में यह अवधारित किया है कि भरण–पोषण का तात्पर्य एक पशु की भांति जीवन व्यतीत करना नहीं है, बल्कि पत्नी को अधिकार है कि वह अपने पति के जीवन स्तर की भांति ही जीवन–यापन करे और पत्नी को भरण–पोषण देना पति का दायित्व है। पति को देखना चाहिये की पत्नी एक भिखारी अथवा निराश्रित न रहे। वास्तव में यह पति का पुनीत कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी को वित्तीय सहायता दे, चाहे इसके लिये भौतिक मजदूरी के द्वारा पति को धन अर्जित करना पड़े, यदि वह स्वस्थ है।

29. **जसवीर कौर सहगल बनाम जिला जज, देहरादून (1997) 7 एस०सी०सी० 7** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि न्यायालय को पक्षों की स्थिति, उनकी आवश्यकताओं, पति की धनराशि अदा करने की क्षमता को ध्यान में रखना चाहिये, जिसमें उसके अपने रख–रखाव के लिये उचित भुगतान की कटौती शामिल हो। पत्नी के लिये तय की गयी भरण–पोषण की धनराशि ऐसी होनी चाहिये कि वह अपनी स्थिति और जिस तरह का जीवन अपने पति के साथ जीती थी, उसे ध्यान में रखते हुये वह आराम से रह सके। भरण–पोषण का तात्पर्य केवल जीवित रहना नहीं है। एक महिला को जिस वैवाहिक घर छोड़ने के लिये विवश किया जाता है, उसे अहसास नहीं होना चाहिये

कि वह अपनी गरिमा खो चुकी है और भरण–पोषण की व्यवस्था के लिये इधर–उधर भटक रही है।

30. जैसा कि वर्तमान मामले में पाया गया है कि प्रत्यर्थी सं० –2 नीरज कुमार की आय का कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, किन्तु वह मजदूरी करने से भी उसकी मासिक आय होगी। अपीलार्थी नीरज कुमार पति ने अपने ऊपर कोई अन्य दायित्व होना दर्शित नहीं किया है। ऐसी दशा में पति के समान जीवन – यापन करने के लिये प्रत्यर्थी श्रीमती पुष्पा देवी को कम से कम रू० –3,000/– प्रतिमाह एवं उसके दो अवयस्क बच्चे, जो उसके साथ रह रहे हैं, के लिये रू०– 1,000/– 1,000/– की आवश्यकता हैं। अतः उक्त धनराशि प्रत्यर्थी सं० –2 व उसके अवयस्क बच्चों को दिलाया जाना उचित होगा।

31. इसके अतिरिक्त श्रीमती पुष्पा देवी के मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न के मद में एकमुश्त धनराशि रू० –50,000/– दिलाया जाना भी युक्तियुक्त प्रतीत होता है।

32. उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण विचारण न्यायालय में उपस्थित होने के उपरांत अकारण अनुपस्थित हो गये। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध वाद की कार्यवाही एक पक्षीय रूप से अग्रसारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है एवं आक्षेपित निर्णय व आदेश के द्वारा जो धनराशि प्रत्यर्थी सं०–2 व उसके अवयस्क बच्चों को प्रदान की गयी है, वह युक्तियुक्त प्रतीत होती है। अतः उपरोक्तानुसार दाण्डिक अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

दाण्डिक अपील खण्डित की जाती है तथा आक्षेपित निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है। अभिलेख वापस भेजा जाये।

दि०–16.04.2026

(रजत सिंह जैन)
सत्र न्यायाधीश,
इटावा।

निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर उदघोषित किया गया।

दि०– 16.04.2026

(रजत सिंह जैन)
सत्र न्यायाधीश,
इटावा।